DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

Bulletin Part - II

(General Information relating to Legislative and other matters)

Thursday 8th July, 1999/ Asadha 17. 1921 (Saka)

No.41

SUB: Regarding maintenance of the secrecy of the deliberations held in various House Committees.

Hon'ble Speaker has observed that sometimes the deliberations taking place in the meetings of the House Committees get leaked to the print media even before the Committee has finalised its report and presented the same to the House. In this connection attention of the Hon'ble members is invited to Rule 172(6) of the Assembly Rules which reads as follows -

> "All evidence tendered before the Committee shall be treated as secret or confidential until the presentation of the Report of the Committee to the House".

Hon'ble Speaker has, therefore, desired that the Chairmen and members of the various House Committees may kindly cooperate in maintaining the secrecy of deliberations so as to up-hold the dignity of the House and the sanctity of the Rule .

S.K.SHARMA
Secretary

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

बृहस्पतिवार, 8 जुलाई, 1999/ आषाढ़ 17, 1921 (शक)

सं0- 43.

विषय : सदन की विभिन्न समितियों में हुए विचार-विमर्श की गोपनीयता बनाए रखने के बारे में ।

माननीय अध्यक्ष ने यह पाया है कि कभी-कभी समिति की बैठकों में हुए विचार-विमर्श समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट तैयार करने और उसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व ही समाचार-पत्रों आदि में छप जाते हैं । इस संबंध में माननीय सदस्यों का ध्यान विधान सभा नियमों के नियम 172(6) की ओर दिलाया जाता है, जो इस प्रकार है :-

"समिति के समक्ष दिया गया समस्त साक्ष्य तब तक गुप्त एवं गोपनीय समझा जायेगा, जब तक सदन का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत न कर दिया जाये ।"

अतः माननीय अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की है कि सदन की गरिमा और नियम की भावना को बनाए रखने हेतु सदन की विभिन्न समितियों के सभापति एवं सदस्य ऐसे विचार-विमर्शों की गोपनीयता बनाए रखने में कृपया सहयोग प्रदान करें ।

एस.के.शर्मा
सचिव